

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :-
प्रेषक,

रा0खा0आ0 (शिकायत)-धनबाद / PMMVY-94 / 2021 - 619

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक:- 14.07.2022

विषय:- श्रीमती सुनिता मित्तल, C/O श्री अजय कुमार मित्तल, केन्दुआ बाजार, सत्संग भवन के निकट, ठाकुर बाड़ी रोड, पो0+थाना-कुसुंडा, धनबाद से प्राप्त शिकायत-पत्र पर कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि शिकायतकर्ता श्रीमती सुनिता मित्तल, C/O श्री अजय कुमार मित्तल, केन्दुआ बाजार, सत्संग भवन के निकट, ठाकुर बाड़ी रोड, पो0+थाना-कुसुंडा, धनबाद को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ नहीं मिलने संबंधी शिकायत आयोग को प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत पत्र पर कार्रवाई हेतु आयोग के पत्रांक-764 दिनांक-22.11.2021 द्वारा अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, धनबाद को पत्र प्रेषित किया गया था। अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, धनबाद के पत्रांक-2107 दिनांक-06.07.2022 द्वारा उक्त मामले में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, धनबाद द्वारा समर्पित प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें प्रतिवेदित है कि शिकायतकर्ता का PMMVY पोर्टल पर SO Approval कर दिया गया है। PMMVY के तहत प्रदत्त राशि समाज कल्याण निदेशालय, राँची के द्वारा भुगतान किया जाता है।

अतः प्राप्त प्रतिवेदन संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त मामले में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए कृत कार्रवाई से आयोग को शीघ्र अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार)

सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।



झारखण्ड सरकार

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

(जिला राजस्व शाखा)

दूरभाष सं०-09471191603,

E-mail : ac-dhanbad@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक 21.07 / रा०,

दिनांक 5/7/2022

प्रेषक,

नन्दकिशोर गुप्ता, (झा०प्र०से०)
अपर समाहर्ता-सह-
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
धनबाद।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची

विषय :-

श्रीमती सुनिता मित्तल, C/O श्री अजय कुमार मित्तल, केन्दुआ बाजार, सत्संग भवन के निकट, ठाकुर बाड़ी रोड, पो+थाना-कुसुंडा, धनबाद के पत्र का जाँच प्रतिवेदन का प्रेषण।

प्रसंग :-

अवर सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची के पत्रांक-रा०खा०आ० (शिकायत)-धनबाद / PMMVY-94/2021-764, दिनांक-22.11.2021 एवं आपका पत्रांक- रा०खा०आ० (शिकायत)-धनबाद / PMMVY-94/2021-113, दिनांक-04.02.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, धनबाद के पत्रांक-1098/जि०स०क०, दिनांक-05.07.2022 के पत्र के साथ संलग्न बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धनबाद सदर का पत्रांक-486/बा०वि०, दिनांक-05.07.2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्रीमती सुनिता मित्तल, C/O श्री अजय कुमार मित्तल, केन्दुआ बाजार, सत्संग भवन के निकट, ठाकुर बाड़ी रोड, पो+थाना-कुसुंडा, धनबाद का PMMVY Portal पर SO Approval कर दिया गया है। PMMVY के तहत प्रदत्त राशि समाज कल्याण निदेशालय, राँची के द्वारा भुगतान किया जाता है।

कृप्या प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(नन्दकिशोर गुप्ता, झा०प्र०से०)

अपर समाहर्ता-सह-

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
धनबाद।

769

Date
05/07/22

श्री सुनिता
@
05/07/22

543
05.07.22

झारखण्ड सरकार

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

(जिला राजस्व शाखा)

दूरभाष सं०-09471191603,

E-mail : ac-dhanbad@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक...../रा०,

दिनांक.....2022

प्रेषक,

नन्दकिशोर गुप्ता, (झा०प्र०से०)
अपर समाहर्ता-सह-
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
धनबाद।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची

विषय :-

श्रीमती सुनिता मित्तल, C/O श्री अजय कुमार मित्तल, केन्दुआ बाजार, सत्संग भवन के निकट, ठाकुर बाड़ी रोड, पो+थाना-कुसुंडा, धनबाद के पत्र का जाँच प्रतिवेदन का प्रेषण।

प्रसंग :-

अवर सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची के पत्रांक-रा०खा०आ० (शिकायत)-धनबाद/ PMMVY-94/2021-764, दिनांक-22.11.2021 एवं आपका पत्रांक- रा०खा०आ० (शिकायत)-धनबाद/ PMMVY-94/2021-113, दिनांक-04.02.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, धनबाद के पत्रांक-1098/जि०स०क०, दिनांक-05.07.2022 के पत्र के साथ संलग्न बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धनबाद सदर का पत्रांक-486/बा०वि०, दिनांक-05.07.2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्रीमती सुनिता मित्तल, C/O श्री अजय कुमार मित्तल, केन्दुआ बाजार, सत्संग भवन के निकट, ठाकुर बाड़ी रोड, पो+थाना-कुसुंडा, धनबाद का PMMVY Portal पर SO Approval कर दिया गया है। PMMVY के तहत प्रदत्त राशि समाज कल्याण निदेशालय, राँची के द्वारा भुगतान किया जाता है।

कृप्या प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन

३०/-

(नन्दकिशोर गुप्ता, झा०प्र०से०)

अपर समाहर्ता-सह-

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
धनबाद।

ज्ञापांक.....2107...../रा०, धनबाद, दिनांक.....6/7/2022

प्रतिलिपि :-

अवर सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

(नन्दकिशोर गुप्ता, झा०प्र०से०)

अपर समाहर्ता-सह-

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
धनबाद।



भारत सरकार

उपायुक्त का कार्यालय (जिला समाज कल्याण शाखा), धनबाद।
समाहरणालय भवन, प्रथम तल्ला, कमरा नम्बर - 16
दुरभाष - 03262312407, Email ID - dsw-dhanbad@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक- 1098/जि0स0क0

प्रेषक,

स्नेह कश्यप,
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
धनबाद।

सेवा में,

अपर समाहर्ता-सह-
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
धनबाद।

विषय :-

प्राप्त आवेदन पत्र का अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के सम्बन्ध में।

धनबाद, दिनांक- 05/07/2022

प्रसंग :-

भवदीय पत्रांक-1619/रा0, दिनांक-09.05.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासांगिक पत्र के द्वारा श्रीमती सुनिता मित्तल, C/O श्री अजय कुमार मित्तल, केन्दुआ बाजार, सत्संग भवन के निकट, ठाकुर बाड़ी रोड, पो0+थाना-कुसुण्डा, धनबाद से प्राप्त शिकायत पत्र के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धनबाद सदर के पत्रांक- 486 दिनांक- 05.07.2022 के द्वारा प्रतिवेदित है कि परिवादी का PMMVY Portal पर SO Approval कर दिया गया है। PMMVY के तहत प्रदत्त राशि समाज कल्याण निदेशालय, राँची के द्वारा भुगतान किया जाता है (प्रति संलग्न)।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासमाजन,

(स्नेह कश्यप) 22
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
धनबाद।

5/07/22

कार्यालय, बाल विकास परियोजना, धनबाद सदर।

Email Id:- icdsdhanbadsadar@gmail.com

पत्रांक.....48.6...../बा० वि०

प्रेषक,

आराधना,
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,
धनबाद सदर।

सेवा में,

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
धनबाद।

धनबाद, दिनांक...5.07.2022

विषय:- प्राप्त आवेदन पर नियमानुसार कार्यवाही करने के संबंध में।


प्रसंग:- जिला समाज कल्याण कार्यालय के ज्ञापांक 819/जि०स०क० धनबाद
दिनांक 21.05.22।

महाशय,

उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि श्रीमती सुनिता मितल, C/O श्री अजय कुमार मितल, केन्दुआ बाजार, सत्संग भवन के निकट, ठाकुर बाकुर बाडी रोड, पो०-थाना-कुसुंडा धनबाद का PMMVY Portal पर SO Approval कर दिया गया है। PMMVY के तहत मिलने वाली राशि का भुगतान समाज कल्याण निदेशालय, राँची के द्वारा दिया जाता है।

सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन


05/07/2022
आराधना

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,
धनबाद सदर।



झारखण्ड सरकार

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, धनबाद।
(जिला राजस्व शाखा)

दूरभाष सं०-09471191603,

E-mail : ac-dhanbad@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक 1615 / रा०,

दिनांक 09/05/2022

प्रेषक,

नन्दकिशोर गुप्ता, (झा०प्र०से०)
अपर समाहर्ता,
धनबाद।

सेवा में,

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
धनबाद।

विषय :-

प्राप्त आवेदन पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही करने के संबंध में।

प्रसंग :-

प्रशाखा पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची के पत्रांक-रा०खा०आ०
(शिकायत)-धनबाद/PMMVY-94/2021-113, दिनांक-04.02.2022 एवं इस कार्यालय का
पत्रांक-7010/रा०, दिनांक-27.12.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि श्रीमती सुनिता मित्रल, C/O श्री अजय कुमार मित्रल, केन्दुआ बाजार, सत्संग भवन के निकट, ठाकुर बाड़ी रोड, पो+थाना-कुसुंडा, धनबाद से प्राप्त शिकायत-पत्र के मामले में आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि परिवादी से आवेदन प्राप्त कर ऑनलाईन कर दिया गया है। किन्तु उन्हें PMMVY के तहत मिलने वाली राशि प्रदान की गयी है अथवा नहीं? इस संबंध में सूचना अप्राप्त है।

अतः प्राप्त आवेदन पत्र पर जाँच कर अग्रेतर कार्रवाई करते हुए जाँच प्रतिवेदन अधोहरताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि सूचना से आयोग को अवगत कराया जा सके।
अनु०:- यथोपरि।

विश्वासभाजन

(नन्दकिशोर गुप्ता, झा०प्र०से०)
अपर समाहर्ता,
धनबाद।

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

17
21

पत्रांक :- रा0खा0आ0 (शिकायत)-धनबाद / PMMVY-94 / 2021 - 113
प्रेषक,

सिकन्दर राय,
प्रशाखा पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
सेवा में,

अपर समाहर्ता-सह-
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
धनबाद।

Handwritten signature and initials.

विषय:- श्रीमती सुनिता मित्तल, C/O श्री अजय कुमार मित्तल, केन्दुआ बाजार, सत्संग भवन के निकट, ठाकुर बाड़ी रोड, पोथाना-कुसुंडा, धनबाद के मामले में कार्रवाई के संबंध में।

राँची, दिनांक:- 04.02.2022

प्रसंग:- आयोग का पत्रांक-764 दिनांक-22.11.2021 एवं आपका पत्रांक-300 दिनांक-31.01.2022।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि श्रीमती सुनिता मित्तल, C/O श्री अजय कुमार मित्तल, केन्दुआ बाजार, सत्संग भवन के निकट, ठाकुर बाड़ी रोड, पोथाना-कुसुंडा, धनबाद से प्राप्त शिकायत-पत्र के मामले में आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि परिवादी से आवेदन प्राप्त कर ऑनलाईन कर दिया गया है। किन्तु उन्हें PMMVY के तहत मिलने वाली राशि प्रदान की गयी है अथवा नहीं? इस संबंध में सूचना अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि श्रीमती मित्तल को PMMVY के तहत तीनों किस्तों एवं जननी सुरक्षा योजना के तहत देय राशि के भुगतान की सूचना से आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाय।
अनु० यथोक्त।

विश्वासभाजन

Handwritten signature.

(सिकन्दर राय)

प्रशाखा पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

494
14/3/22

76

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक - रा0खा0आ0 (शिकायत)-धनबाद / PMMVY-94 / 2021 - 764
प्रेषक,

नरेश प्रसाद केवट,
अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सोपा में,

अपर समाहर्ता-सह-
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
धनबाद।


विषय:- श्रीमती सुनिता मित्तल, C/o श्री अजय कुमार मित्तल, केन्दुआ बाजार, सत्संग भवन के निकट, ठाकुर बाड़ी रोड, पो0-थाना-कुसुडा, धनबाद से प्राप्त शिकायत-पत्र पर कार्रवाई के संबंध में।
राँची, दिनांक - 22.11.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि श्रीमती सुनिता मित्तल, C/o श्री अजय कुमार मित्तल, केन्दुआ बाजार, सत्संग भवन के निकट ठाकुर बाड़ी रोड, पो0थाना-कुसुडा, धनबाद का शिकायत-पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा UCNC, केन्दुआ में उनके प्रथम बच्चे के जन्म के उपरान्त PMMVY के तहत राशि नहीं मिलने का उल्लेख करते हुए इसकी शिकायत की गई है।

अतः प्राप्त शिकायत-पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा-15(5) के तहत सुनवाई करते हुए कृत कार्रवाई से आयोग को अविलंब अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय।
अनु0 यथोक्त।

विश्वासमाजन


(नरेश प्रसाद केवट)

अवर सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

316 Date 22/10/21

15
2

Gmail

22/10/21

food commission <jharfoodcommission@gmail.com>

Regarding not getting the incentive amount of Matri Vandana Yojana.

4 messages

Ajay Ajay <ajay.kendua@yahoo.com>

Fri, Apr 16, 2021 at 4:03 PM

Reply-To: Ajay Ajay <ajay.kendua@yahoo.com>

To: "jharfoodcommission@gmail.com" <jharfoodcommission@gmail.com>

Sir

I SUNITA from Kendua hospital UCHC KENDUADIH, Dhanbad Jharkhand. For not getting the amount of encouragement under the mother scheme Vandana. Please provide proper guidance.

Aso (Sri Ravish)

22/10/2021

401
22.10.2021

उत्तर है

बाल विकास परिषदाणा-पुणविकासात -
सांगली संघ

विषय - मासिक आर्थिक वेतन पर सामुदायिक सुविधा केंद्र के
संबंध में।

उत्तर - पत्रिका-3296 दिनांक 18-12-2021

महोदय

उपरोक्त विषय में श्रीमती सुशीला शिंदे जी आपसे पुणे शिंदे
केन्द्र का सांगली संघ के निकट ठाकुर बाड़ी रोड पोस्ट बाग कुठुण्डा
सांगली प्रशासकीय माह वंदना भोजन हेतु का डि. प्रान्त नहीं होने
का लिखित किताब प्राप्त है। लासुक के बाद जाकर जांच करके पर पत्र
पत्रों का प्रत्यक्ष का आदेश प्राप्त किताब ही नहीं है। लासुक से माह
वंदना का आदेश लेकर नए 1st & 2nd instalment नए दिने है।

6/01/22

अखिल भारतीय सांगली संघ

विशालभाऊ
Mungli Haveli
मोपान
सांगली संघ
6/1/2022